...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व... हुक्म की...
19/11/24	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप। बहस अभिभाषक उभयपक्ष [illegible] सुनी गई, पत्रावली वास्ते निर्णय दि 03/12/24 को पेश हो।	
03/12/24	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप। प्रा.पत्र अ. स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली तकमीली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा।
बइजलास रामावतार मीणा (आर.ए.एस.)

वि0 नं0 01/2023/बउनवान/बिरधीलाल बनाम रामस्वरूप वगैरा

बिरधीलाल पुत्र कालूलाल जाति खाती निवासी ग्राम खजूरी तहसील सांगोद जिला कोटा।

—प्रार्थी—

—बनाम—

1. रामस्वरूप पुत्र रघुनाथ जाति नाई निवासी ग्राम खजूरी(ओदपुर) तहसील सांगोद,
2. मुकेश कुमार पुत्र बद्रीलाल जाति माली निवासी ग्राम खजूरी(ओदपुर) तहसील सांगोद,
3. बिरधीलाल पुत्र गणेशराम जाति माली निवासी ग्राम खजूरी(ओदपुर) तहसील सांगोद,
4. कृष्णगोपाल पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी ग्राम खजूरी(ओदपुर) तहसील सांगोद,
5. बलराम पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी ग्राम खजूरी(ओदपुर) तहसील सांगोद,
6. रामनिवास पुत्र बद्रीलाल जाति माली निवासी ग्राम खजूरी(ओदपुर) तहसील सांगोद,
7. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। —अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::— दिनांक :- 3/12/2024

प्रार्थी की ओर से इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी के संयुक्त खाते एवं कब्जेकाश्त की अन्य आराजात के साथ खाता संख्या 86 के खसरा नंबर 160 रकबा 1.42 हैक्टर आराजी माल ग्राम खजूरी पटवार हल्का अमृतकुआं तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। प्रार्थी के अपने खाते व कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 160 रकबा 1.42 हैक्टर आराजी पर आने जाने हेतु पूर्वजों के समय से ही खसरा नंबर 173 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे स्थित रास्ते से आवागमन कृषिकार्य हेतु अपने ट्रेक्टर ट्रोली व अन्य सामान लाने ले जाने हेतु रास्ता रहा है। इसके अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजी को काश्त करने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी कं. 1 रामस्वरूप द्वारा अपने खसरा नंबर 173 की पूर्वी मेड पर सीमेन्ट के पिल्लर गाडकर प्रार्थी के प्रचलित रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है और रास्ते को संकरा करके प्रार्थी का आवागमन अवरूद्ध हो गया है। पूर्व के प्रचलित रास्ते को अवरूद्ध करने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.05.2023 को प्रशासन गांवों के संग शिविर अमृतकुआं में शिविर अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें प्रार्थी ने अपने खाते व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नंबर 160 में आने जाने हेतु व कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर—ट्रोली व अन्य साधन लाने ले जाने हेतु प्रचलित रास्ते का समाधान चाहा। गया जिसमें अप्रार्थी रामस्वरूप पुत्र रघुनाथ जाति नाई ने अपने खाते के खेत खसरा नंबर 173 की पूर्वी मेड से होकर गुजरने वाले रास्ते को तारफेन्सिग कर बन्द कर दिया। उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु शिविर अधिकारी द्वारा अप्रार्थी कं. 1 रामस्वरूप को तलब किया गया और अप्रार्थी रामस्वरूप की उपस्थिति में दिनांक 30.05.2023 को अप्रार्थीगण कं. 2, 3, 4, 5 के प्रतिनिधि

उपखण्ड अधिकारी

कृष्णगोपाल की उपस्थिति में समझाईश कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से खसरा नंबर 173 की भूमि में से रामस्वरूप दो मीटर आराजी छोडकर अपने पिल्लर गाडेगा तथा खसरा नंबर 170, 171 व 172 के खातेदार अपनी आराजी के पश्चिमी तरफ 2 मीटर भूमि छोडकर पत्थरों के पिल्लर गाडेंगे। इस प्रकार 4 मीटर का रास्ता मौके पर दिया गया जिस पर सभी व्यक्तियों द्वारा सहमति प्रदान की गई और कई ग्रामवासी भी उपस्थित रहे और साथ ही रामस्वरूप पुत्र रघुनाथ नाई ने स्वयं अपने तार फेन्सिंग मौके पर निर्धारित किये गये निशान पर गाडने की सहमति दी और इस प्रकार प्रार्थी के द्वारा ग्राम खजूरी में स्थित आराजी खसरा नंबर 160 पर आने जाने हेतु 4 मीटर रास्ता देकर पूर्व के अवरूद्ध किये गये रास्ते को खुलासा किया गया। दिनांक 30.05.2023 को शिविर अधिकारी द्वारा किये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी अपने खेत की हंकाई जुताई हेतु ट्रेक्टर लेकर गया तो अप्रार्थी रामस्वरूप ने प्रार्थी के ट्रेक्टर को उक्त रास्ते से आने जाने के लिए मना कर दिया और पूर्व के लगाये गये सीमेन्ट कंकरीट के पिल्लरों को भी रास्ते में से नहीं हटाया और साथ ही अप्रार्थी कं. 2 लगायत 5 द्वारा भी माननीय शिविर अधिकारी द्वारा फैसले की कोई पालना नहीं की गई और प्रार्थी को धमकी दी कि उक्त रास्ते से निकलने की कोशिश की तो जान से मार देंगें। प्रार्थी को अपने खाते व कब्जेकाश्त की आराजी माल ग्राम खजूरी के खसरा नंबर 160 रकबा 1.42 हैक्टर आराजी पर आने जाने का एकमात्र रास्ता दिनांक 30.05.2023 को प्रशासन गांव के संग शिविर अमृतकुआं में दिया गया था। उसके अलावा कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अगर प्रार्थी को उक्त दिये गये रास्ते को व दिनांक 30.05.2023 के निर्णय की पालना किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, अन्यथा प्रार्थी का खेत पडत रह जावेगा और प्रार्थी को काफी क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थना पत्र वास्ते माननीय शिविर अधिकारी द्वारा दिये गये रास्ते व आदेश दिनांक 30.05.2023 की पालना करवायी जाकर रास्ते को 4 मीटर का रास्ता खुलासा करवाकर मौके पर रास्ता बहाल किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावे और प्रार्थी को 4 मीटर का रास्ता दिया जावे। साथ ही अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे दिनांक 30.05.2023 को दिये गये रास्ते में किसी प्रकार की कोई अडचन पैदा नहीं करें।

प्रार्थी की ओर से उपरोक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी अप्रार्थी कं. 1 की ओर से श्री नरेश कुमार गौतम एडवोकेट ने एवं अप्रार्थी कं. 2 लगायत 6 की ओर से श्री दशरथसिंह एडवोकेट ने वकालत नामा प्रस्तुत किया तथा बाद तलबी अप्रार्थी कं. 1 रामस्वरूप द्वारा इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि मुझ अप्रार्थी के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 173 में होकर प्रार्थी का कभी कोई रास्ता मौके पर नहीं रहा है। मुझ अप्रार्थी के खेत की सीमाओं पर तारफेंसिंग पूर्व से ही मौजूद है किन्तु प्रार्थी उक्त मुकदमें की आड में मेरी तारफेंसिग को हटवाकर मेरे खाते एवं कब्जेकाश्त के खसरा नंबर 173 में जबरन प्रार्थी नया रास्ता कायम करके मेरी फसल व मेड को नुकसान पहुंचाना चाहता है जबकि मुझ अप्रार्थी व प्रार्थी बिरधीलाल के मध्य विचाराधीन नियमित वाद संख्या 45/2017 बउनवान रास्वरूप बनाम बिरधीलाल वगैरा में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद द्वारा दिनांक 31.05.2018 को अन्तिम निर्णय व डिकी पारित कर ग्राम खजूरी में

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

स्थित मुझ अप्रार्थी रामस्वरूप के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 173 रकबा 1.74 हैक्टर आराजी में प्रार्थी बिरधीलाल को मदाखलत, मजाहमत, क्षति, नुकसान, बाधा इत्यादि कारित नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है और निर्णय-डिक्री में बिरधीलाल को हिदायत दी है कि वह खसरा नंबर 173 में रामस्वरूप की शान्तिपूर्ण काश्त करने देवे। इस प्रकार उक्त डिक्री के निर्देशों के विपरीत आचरण करने से प्रार्थी कानूनन स्टोप्ड है व मेरी आराजी को क्षति, नुकसान कारित नहीं करने हेतु प्रार्थी निषेधाज्ञा से पूर्व से ही पाबन्द है। उक्त डिक्री का उल्लंघन करने का बिरधीलाल द्वारा प्रयास किया गया था जिसके कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही मिसल नंबर 49/2019 भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है किन्तु उक्त तथ्यों को छिपाकर प्रार्थी द्वारा असत्य तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो सव्यय काबिल खारिजा है। वैसे भी उक्त चरण में प्रार्थी ने खसरा नंबर 173 की पूर्वी मेड के सहारे-सहारे आवागमन करने का रास्ता होना अंकित किया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के कथनानुसार वांछित रास्ता खसरा नंबर 173 में नहीं होकर खसरा नंबर 173 की मेड के सहारे-सहारे है। प्रार्थी की प्लीडिंग परस्पर विरोधाभासी होने से प्रार्थना पत्र कानूनन मेन्टेनेबल नहीं है। मौके व रिकार्ड में विवादग्रस्त स्थल पर कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रकरण में कोई निर्णय पारित नहीं हुआ है। प्रार्थी तथाकथित मौका रिपोर्ट को निर्णय के रूप में परिभाषित कर रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में पुरातन विद्यमान परम्परागत रास्ते को बाधित करने की सूरत में उभय पक्षों की सुनवाई व साक्ष्योपरान्त तहसीलदार द्वारा खुलासा करने के आदेश पारित करने की व्यवस्था की गई है किन्तु न तो ऐसा प्रकरण उपरोक्त प्रावधान की पालना में दर्ज किया गया और न ही कोई सुनवाई का अवसर देकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा स्वयं का जाया फायदा पहुंचाने की गरज से मौका रिपोर्ट की निर्णय के रूप में व्याख्या की जा रही है जिससे प्रार्थी को किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। फिर भी यदि प्रार्थी दिनांक 30.05.2023 की मौका रिपोर्ट को निर्णय के रूप में मानता है तो प्रार्थी को निर्णय पालना हेतु सक्षम न्यायालय में इजराय की कार्यवाही प्रस्तुत करनी चाहिए। न कि धारा 251ए की कार्यवाही। प्रार्थना प्रार्थी गैरकानूनी होने से स्वीकार नहीं है। साथ ही अप्रार्थी कं. 1 रामस्वरूप ने जवाब की विशेष आपत्तियों में निवेदन किया कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होते हुये भी वास्तविक तथ्यों को छिपाकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। जबकि वास्तविकता इस प्रकार से है कि प्रार्थी बिरधीलाल के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 160 की भूमि के दक्षिण में ग्राम डोल्याखेडी के खंसरा नंबर 1 की सरकारी भूमि पडती है जिसमें होकर रास्ता ग्राम खजूरी की नहर खसरा नंबर 189, 190 तक जाता है किन्तु उक्त सरकारी भूमि पर गत दिनों अतिकमियों द्वारा अतिकमण करने से रास्ता अवरूद्ध हो गया है जिसके कारण प्रार्थी ने प्रभावशाली अतिकमियो के विरूद्ध शिकायत न करके जबरन मेरी आराजी खसरा नंबर 173 में होकर नया रास्ता कायम करने की मिथ्या कार्यवाही पेश की है। जबकि प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 160 में आवागमन करने का वैकल्पिक मार्ग खसरा नंबर 161 की पूर्वी भुजा पर होकर सरकारी भूमि खसरा नंबर 1 किस्म बंजड ग्राम डोल्याखेडी पर होकर मौजूद है जिसे अतिकमी से मुक्त करवाकर रास्ता खुलासा करवाया जाना चाहिए, न कि मुझ अप्रार्थी की आराजी में नया रास्ता कायम करना चाहिए। अप्रार्थी कं. 1 द्वारा अपने जवाब में वैकल्पिक रास्ते का नजरी नक्शा भी अंकित किया। रेकार्ड में प्रस्तावित

उपखण्ड अधिकारी
...ज़िला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

रास्ता दर्ज नहीं है और प्रार्थी द्वारा ग्राम खजूरी के प्रभावित खसरा नंबर 141, 142, 174, 175 के काश्तकारों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है जिसके अभाव मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी पक्षकारों के असंयोजन के कारण काबिल खारिजा है। प्रभावित काश्तकारों को पक्षकार बनाये बिना प्रकरण में किसी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थी द्वारा धारा 251ए आरटीएक्ट के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है, वहीं अनुतोष में निर्णय दिनांक 30.05.2023 की पालना करवाने व रास्ते को खुलासा करवाने का अनुतोष चाहा है। जबकि उक्त अनुतोष धारा 251ए के प्रावधानों में आच्छादित नहीं होने से प्रार्थना पत्र काबिल खारिजा है। पक्षकारान के मध्य विचाराधीन नियमित वाद संख्या 45/2017 बउनवान रामस्वरूप बनाम बिरधीलाल वगैरा में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद द्वारा दिनांक 31.05.2018 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर ग्राम खजूरी मे स्थित अप्रार्थी रामस्वरूप के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 173 रकबा 1.74 हैक्टर आराजी में प्रार्थी बिरधीलाल को मदाखलत, मजामहत, क्षति, नुकसान, बाधा इत्यादि कारित नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है और निर्णय-डिक्री मे बिरधीलाल को हिदायत दी है कि वह खसरा नंबर 173 में रामस्वरूप की शान्तिपूर्ण काश्त करने देवे। उक्त डिक्री किसी भी अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त नही की गई है। लिहाजा उक्त डिक्री के निर्देशों के विपरीत आचरण करने से प्रार्थी कानूनन स्टोप्ड है तथा माननीय न्यायालय को भी पूर्वपारित निर्णय-डिक्री के विपरीत निर्णय पारित करने का कानूनी क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी कं. 2 लगायत 6 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी कं. 7 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद की ओर से जवाब के कम में पत्र कमांक/राजस्व/2024/1326 दिनांक 13.08.2024 मय मौका रिपोर्ट आईएलआर सर्किल किशनपुरा के इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम खजूरी की जमाबन्दी संवत् 2074-77 के खाता संख्या 88 के खसरा नंबर 123 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नंबर 124 रकबा 1.29 हैक्टर, खसरा नंबर 160 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा नंबर 486 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नंबर 487 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नंबर 502 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नंबर 89 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नंबर 90 रकबा 0.87 हैक्टर किता 8 की कुल 6.23 हैक्टर आराजी अन्तिम कुमारी पुत्री रमेश हिस्सा 1/36, ओमप्रकाश पुत्र गोबरीलाल हिस्सा 1/6, कमलेश पुत्री रमेश हिस्सा 1/36, गीताबाई पत्नी रमेश हिस्सा 1/36, गोरधन पुत्र रमेश हिस्सा 1/36, बिरधीलाल पुत्र कालूलाल हिस्सा 1/2, ममता उर्फ निर्मला कुमारी पुत्री रमेश हिस्सा 1/36, सत्यनारायण पुत्र रोडूलाल हिस्सा 1/6, सोनू पुत्र रमेश हिस्सा 1/36 जाति खाती सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी में से वादी बिरधीलाल पुत्र कालूलाल जाति खाती को खसरा नंबर 160 रकबा 1.42 हैक्टर मे आने जाने के रास्ते हेतु न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 160 के लगवा अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 173 रकबा 1.74 हैक्टर खातेदार रामस्वरूप पुत्र रघुनाथ जाति नाई सा.देह पश्चिमी दिशा को व खसरा नंबर 172 रकबा 0.48 हैक्टर खातेदार बलराम पुत्र धन्नालाल हिस्सा 1/2, सुरेश पुत्र कृष्णगोपाल हिस्सा 1/10, लीला कुमारी पुत्री कृष्णगोपाल हिस्सा 1/10, मनोज कुमार पुत्र कृष्णगोपाल हिस्सा 1/10, भरोसीबाई पत्नी कृष्णगोपाल हिस्सा 1/10, अंजू सुमन पुत्री कृष्णगोपाल हिस्सा 1/10 जाति माली सा.देह पूर्वी दिशा में व खसरा नंबर 171 रकबा 0.48 हैक्टर बिरधीलाल पुत्र गणेशराम हिस्सा पूर्ण जाति माली पूर्व दिशा

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

व खसरा नंबर 170 रकबा 0.48 हैक्टर मुकेश कुमार पुत्र बद्रीलाल जाति माली सा.देह पूर्वी दिशा में स्थित है। प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 160 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 173 की पूर्वी मेड व खसरा नंबर 172, 171, 170 की पश्चिमी मेड से रास्ते के लिए वादपत्र में उल्लेख दिया है। प्रार्थी की आराजी में आने जाने हेतु रेकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी की आरजी खसरा नंबर 160 में रास्ते से निकटतम दूरी खसरा नंबर 173 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे 162 मीटर व खसरा नंबर 172, 171, 170 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे खसरा नंबर 164 मीटर है। अतः खसर नंबर 173 में 162 मीटर X 2 मीटर = 324 वर्गमीटर(0.0324हैक्टर), खसरा नंबर 172 में 56 मीटर X 2 मीटर = 112 वर्गमीटर(0.0112हैक्टर), खसरा नंबर 171 में 64 मीटर X 2 मीटर = 128 वर्गमीटर(0.0128हैक्टर), खसरा नंबर 170 में 44 मीटर X 2 मीटर = 88 वर्गमीटर(0.0088हैक्टर) अर्थात् किता 4 की कुल भूमि 0.0652 हैक्टर बनती है जिसकी डीएलसी रेट 11,90,837/–रूपये प्रति हैक्टर है। रास्ते के रूप में प्रयोग ली गई भूमि 0.0652 हैक्टर की राशि 77,643/– रूपये बनती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी व अप्रार्थी के अभिवचनों, जवाब सरकार व कानूगो सर्किल किशनपुरा की मौका रिपोर्ट, राजस्व रिकार्ड का सूक्ष्मतम अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर अप्रार्थी कं. 1 द्वारा अपने जवाब के साथ प्रार्थी के पास उपलब्ध वैकल्पिक रास्ते के रेकार्ड नकल जमाबन्दी व नकल राजस्व नक्शा खसरा नंबर 1 किस्म बंजड ग्राम डोल्याखेडी प्रस्तुत किये जिससे प्रकट होता है कि प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 160 में आवागमन करने का वैकल्पिक मार्ग खसरा नंबर 161 की पूर्वी भुजा पर होकर सरकारी भूमि खसरा नंबर 1 किस्म बंजड ग्राम डोल्याखेडी पर होकर मौजूद है जो प्रथमदृष्टया ही प्रार्थी के लिए सबसे निकटतम मार्ग प्रकट होता है किन्तु इसके बावजूद प्रार्थी ने उक्त तथ्यों को छिपाकर इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। यह भी गौरतलब है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी कं. 1 के खाते की खसरा नंबर 173 व अप्रार्थी कं. 2 लगायत 6 के खाते के खसरा नंबर 170, 171, 172 के मध्य होकर प्रस्तावित रास्ता चाहा है किन्तु राजस्व नक्शा ग्राम खजूरी का अवलोकन करने से यह तथ्य प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये प्रस्तावित रास्ते के आगे उत्तर दिशा में अन्य काश्तकारों के खेत खसरा नंबर 174, 175, 184, 167, 168 इत्यादि पडते हैं जिन्हे प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पक्षकार ही नहीं बनाया है। ऐसी परिस्थितियों में वांछित प्रस्तावित रास्ते का अन्य रास्ते में विलय किस स्थान/खसरे में होता है, यह भी प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में न तो अंकित किया है, और न हीं प्रभावित खसरों के खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार ही बनाया है। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपने आप में अस्पष्ट है व प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र प्रार्थी 'पक्षकारों के असंयोजन' के कारण दूषित हो जाता है। वैसे भी प्रभावित काश्तकारों को प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना किसी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। यह भी गौरतलब है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्ववाद संख्या 45/2017 में न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 31.05.2018 को पारित करके प्रार्थी बिरधीलाल को अप्रार्थी कं. 1 रामस्वरूप की आराजी खसरा नंबर 173 में अप्रार्थी कं. 1 रामस्वरूप के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त में मदाखलत, मजामहत, क्षति, नुकसान, बाधा कारित नहीं करने हेतु पाबन्द किया हुआ

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

है। साथ ही प्रार्थी बिरधीलाल को डिक्री में हिदायत दी है कि वह खसरा नंबर 173 में रामस्वरूप को शान्तिपूर्ण काश्त करने देवे किन्तु उक्त तथ्य को भी छिपाकर प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थी उक्त निर्णय–डिक्री की अनुपालना में कानूनन अप्रार्थी क्रं. 1 की आराजी में प्रवेश न करने हेतु पाबन्द है। प्रार्थी द्वारा धारा 251ए आरटीएक्ट के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है, वहीं अनुतोष में निर्णय दिनांक 30.05.2023 की पालना करवाने व रास्ते को खुलासा करवाने का अनुतोष चाहा है जो धारा 251 ए के प्रावधानों में कवर नहीं होता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी के पास ग्राम डोल्याखेडी की राजकीय भूमि खसरा नंबर 1 किस्म बंजड में होकर निकटतम वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने से प्रार्थी को अप्रार्थीगण की आराजी में होकर नया मार्ग उपलब्ध करवाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी के पास ग्राम डोल्याखेडी की सिवायचक आराजी खसरा नंबर 1 किस्म बंजड में होकर निकटतम वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने से व प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये प्रस्तावित मार्ग के खसरा नंबर 170, 171, 172, 173 के आगे के खसरा नंबरं 174, 175, 184, 167, 168 इत्यादि खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनॉक 3/12/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(समयबुतराजीषा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा